न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री कैलास चन्द्र लखारा , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/176/2016

उनवान

1. सुखदेव पिता देबी लाल गाडरी निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, भीलवाडा
2. जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक) प्रथम पुर रोड, भीलवाडा
3. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,माण्डल जिला भीलवाडा
4. रूपा पिता नारायण गाडरी निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
5. चतरभुज पिता नारायण गाडरी निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण संख्या 73/2011 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.5.2016

अधिवक्तागण :–

1. श्री दिनेश सिसोदिया, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 4.3.2020

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं उसके भाईयों की सहखातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 8679 रकबा 6 बिस्वा भूमि ग्राम माण्डल में स्थित है। उक्त आराजियात में सालगराम का हिस्सा निहित है किन्तु सालगराम के लाऔलाद फौत होने से उसका हिस्सा वादी को ही वारिसान होने से प्राप्त हुआ है। वादी एवं उसके भाईयों ने अपने खातेदारी अधिकार की अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत सक्षम न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । जिसके प्रकरण संख्या 373/2009 कायम किकये । उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 15.1.2010 को स्वीकार करते हुए आराजी संख्या 8679 रकबा 6 बिस्वा वाके माण्डल के चारों तरफ सीमा की पुश्ता जानकारी के लिए पत्थरगढी किये जाने का आदेश पारित किया गया उक्त आदेश की पालना में पटवार हलका ने दिनांक 2.2.2010 को मौके पर पर नपती कर पत्थरगढी करने लगे तो सर्वप्रथम जानकारी में आया कि 2 बिस्वा भूमि तो माण्डल से कीरखेडा जाने वाली सडक निर्मित हाल ही में करा ली गई है तथा शेष्स 4 बिस्वा भूमि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के कब्जे में होकर दीवार बनी होना पटवार हल्का ने बताते हुए अपना मौका पर्चा तैयार किया । वादी की खातेदारी अधिकार की आराजियात को बिना विधिवत अधिग्रहण किये प्रतिवादीगण द्वारा वहॉ पर सडक निर्माण करना व स्कूल की दीवार बनाना सर्वथा गलत होकर नाजायज है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 से भी सम्पर्क किया परन्तु वहॉ से कोई राहत प्रदान नहीं की गई। वादी अपने खातेदारी अधिकार की आराजी के उपयोग उभोग से

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

वंचित रहा है इसलिए 5000/–रूपये प्रतिवर्ष बतौर हर्जाना प्राप्त करने का अधिकारी है।

2. अतः बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री पारित की जावे वादग्रस्त आराजी संख्या 8679 रकबा 6 बिस्वा भूमि से प्रतिवादीगण का नाजायज कब्जा हटाया कर कब्जा वादी को सिपुर्द कराई जावे व 5000/–रूपये प्रतिवर्ष से हिसाब से सुपुर्दगी तक राशि दिलाई जाने की भी डिक्री प्रदान की जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 10.3.2016 की पेशी वास्ते जवाब हेतु नियत थी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट/वादी को बिना विधिवत नोटिस की तामील कराये ही अपने स्तर पर ही प्रकरण में दिनांक 29.5.2016 की पेशी राजस्व लोक अदालत कैम्प माण्डल में सुनवाई हेतु नियत कर दी जिसकी कोई जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी । इस कारण अपीलाण्ट अथवा उसके अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके। अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है।

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री राजस्व लोक अदालत में पारित की गई है। जबकि राजस्व लोक अदालत में मात्र उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभयपक्ष के मध्य आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में राजीनामा हुआ हो। अपीलाधीन प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध अभिवचनों को जानबूझकर नजर अंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब्जेयाबी के लिए प्रस्तुत नहीं कर स्पष्ट रूप से अभिकथन किया था कि उसके सहखातेदारी अधिकार की आराजी संख्या 8679 रकबा 6 बिस्वा में सालगराम का जो हक व हिस्सा निहित था वह सालगराम के लाऔलाद फौत होने से वादी को विरासत से प्राप्त हुआ है इस प्रकार अपीलाण्ट का उक्त आराजी में 1/2 हक हिस्सा निहित था। शेष 1/2 हिस्सा रेस्पोडेण्ट संख्या 4 व 5 का है। उक्त आराजियात में से 02 बिस्वा भूमि सडक में चली गई तथा शेष 04 बिस्वा भूमि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ने नाजायज कब्जा कर दीवार बना ली जिसकी जानकारी पत्थरगढी के आदेश पर बनाई गई पर्चा मौका से हुई। इस कारण कब्जेयाबी दाद के साथ वाद पत्र प्रस्तुत किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय में यह लिखा कि रिपोर्ट पटवारी के अनुसार खातेदार यानि वादी का मौके पर कब्जा नहीं है बल्कि विद्यालय का कब्जा है इस प्रकार वादी का विवादित आराजी पर न तो कब्जा है बल्कि विद्यालय का कब्जा है कब्जे बाबत वादी ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे नाजायज कब्जे की ताईद होती है। उक्त मत व्यक्त करते हुए वादी का वाद खारिज करना उचित नहीं

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा

था। जब वाद पत्र ही कब्जेयाबी का था तो कब्जा वादी का कैसे हो सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध अभिवचनों को नजर अंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 से 3 की ओर से प्रस्तुत जवाब दावा दिनांक 24.4.2012 की नकल वादीकोदिनांक 9.4.2015 तक उपलब्ध नहीं कराई। प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 29.5.2016 को प्रतिवादी सख्या 1 की ओर से जवाब दावा मय मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की जबकि प्रकरण में एक बार जब जवाब दावा प्रस्तत किया जा चुका था तो दुबारा जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता था। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से पुनः दिनांक 13.7.2015 को जवाब दावा प्रस्तुत किया गया । इस प्रकार प्रकरण में 3 बार जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है। जब जवाब दावा आ चुका था तो अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि प्रकरण में तनकियात कायम की जाकर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन कर तनकीवाईज निर्णय पारित किया जाना चाहिये था। वादग्रस्त आराजियात में 1/4 हक हिस्सा वादी का था एवं 1/4 हक हिस्सा सालगराम के ला औलाद फौत हो जाने से वादी को ही जरिये विरासत से 1/4 हिस्सा मिलने से वादी का 1/2 हक हिस्सा हो जाता है। शेष 1/2 हिस्से का प्रत्यर्थी संख्या 4 व 5 को हिस्सेदार मानते हुए पक्षकार बनाया था। अधीनस्थ न्यायालय ने जानबूझकर सर्वमान्य सिद्धान्तों की अनदेखी कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे एवं प्रकरण को पुनः तनकियात कायम की जाकर

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन कर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया जावे।

9. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिवसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

10. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थी का किसी प्रकार का कब्जाकाश्त नहीं रहा था। वादग्रस्त आराजियात में से 02 बिस्वा भूमि तो सडक के रूप में उपयोग में ली जा चुकी है एवं शेष 4 बिस्वा भूमि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की दीवार के अन्दर अवस्थित है। उक्त तथ्य मौका पर्चा से भी प्रमाणित है। अधीनस्थ न्याालय ने भी रिपोर्ट पटवारी के अनुसार खातेदार यानि वादी का मौके पर कब्जा नहीं है बल्कि विद्यालय का कब्जा है इस प्रकार वादी का विवादित आराजी पर न तो कब्जा है बल्कि विद्यालय का कब्जा है कब्जे बाबत वादी ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है जिससे नाजायज कब्जे की ताईद होना मानते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। अपीलार्थी ने न्यायालय हाजा के समक्ष भी ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे अपीलार्थी के कथनों को बल मिलता हो। अपीलार्थी अपने कथनों को साबित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

11. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.5.2016 को यथावत रखा जाता है । पर्चा डिक्री मूर्तिब की जावे।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

12. निर्णय आज दिनांक 4.3.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(कैलाश [illegible] सुखवाल)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री के सी लखारा ,आर ए एस

अपील संख्या आर टी ए/176/2016

उनवान

1. सुखदेव पिता देबी लाल गाडरी निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, भीलवाडा
2. जिला शिक्षा अधिकारी, (माध्यमिक) प्रथम पुर रोड, भीलवाडा
3. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,माण्डल जिला भीलवाडा
4. रूपा पिता नारायण गाडरी निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाडा
5. चतरभुज पिता नारायण गाडरी निवासी माण्डल तहसील माण्डल जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के प्रकरण संख्या 73/2011 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.5.2016

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए/176/2016** मे **उपखण्ड अधिकारी, माण्डल** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डि्क्री जारी की जाती हैः–

यह अपील तारीख 4.3.2020 को अपीलाण्ट की ओर से श्री दिनेश सिसोदिया वकील एवं प्रत्यर्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश सोनी की उपस्थिति मे दिनांक 4.3.2020 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि:–

अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.5.2016 को यथावत रखा जाता है ।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

9 TA /176/2016 सुखदेव बनाम सरकार

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

आज दिनांक 4.3.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

(के. सी. लखारा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट

1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट

1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस